न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—188/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/188)

1. रामरतन पुत्र सवाईराम
2. लादू पुत्र सवाईराम
   दोनों जाति गुर्जर, निवासी नायकी, तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. मैसर्स श्री श्याम मिनरल्स जरिए पार्टनर पियूष कुमार पुत्र रामकुमार सिंह जाति जाट, निवासी आदर्श कॉलोनी, नवलगढ जिला सीकर।
2. मैसर्स श्री श्याम मिनरल्स जरिए पार्टनर रामस्वरूप गुर्जर पुत्र बन्नालाल गुर्जर, निवासी बोहरा कॉलोनी केकडी जिला अजमेर।
3. मैसर्स श्री श्याम मिनरल्स जरिए पार्टनर कुमारी रंजिता तंवर पुत्री गोविन्द सिंह तंवर जाति राजपूत निवासी मेयो लिंक रोड, अजमेर।
4. मैसर्स श्री श्याम मिनरल्स जरिए पार्टनर गोपाल लाल गुर्जर पुत्र छोटूराम गुर्जर निवासी गुर्जरों का मौहल्ला खातोली, अजमेर।
5. मनीष पुत्र शिखरचन्द
6. ममता पुत्री शिखरचन्द
7. विमला पत्नी शिखरचन्द
   जाति महाजन निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
8. गोपाल पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लसाडिया तहसील केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2023 राजस्व वाद संख्या 36/2022 (2022/317)

उपस्थितः—

1. श्री विकास पाराशर अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जी0एस0लखावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4
3. श्री मनीष खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5, 7
4. श्री बकुल कुमार अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 8
5. रेस्पोडेंट संख्या 6 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 09.04.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 36/2022 (2022/317) में पारित आदेश दिनांक 19.05.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत

धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के आदेश दिनांक 19.05.2023 को पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 36/2022 (2022/317) में पारित आदेश दिनांक 19.05.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 6 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील लिखित बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने इस बिन्दु को नजर अन्दाज कर दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा मौके पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि मौके पर माईन्स का कार्य किया जा रहा है। इसलिए धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र ही संधारण योग्य नहीं था एवं तहसीलदार द्वारा उक्त बिन्दु पर कोई जांच नहीं की गई एवं ना ही मौका रिपोर्ट में इस बाबत कोई अंकन किया गया केवल मात्र सरसरी तौर पर ही उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा अपीलांट्स की खातेदारी की आराजीयात में से विधि विरूद्ध रूप से रास्ता देने का निर्णय दिनांक 19.5.2023 पारित कर दिया जो काबिल निरस्त योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की पूर्ण अवहेलना की है क्योंकि उनके द्वारा मौका रिपोर्ट बनाये जाने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किये गए एवं उपरोक्त मौका रिपोर्ट भी अपीलांट्स एवं अन्य पक्षकारान की अनुपस्थिति में बनाई गयी तथा उक्त मौका रिपोर्ट के साथ कोई नजरी नक्शा भी बनाकर प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात उपरोक्त मौका रिपोर्ट उनके द्वारा कार्यालय में ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के कथनानुसार बनाकर प्रेषित कर दी गयी जिसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा निर्णय दिनांक 19.5.2023 पारित कर दिया जो काबिल निरस्तनीय है। तहसीलदार द्वारा बनाई गयी मौका रिपोर्ट दिनांक 23.2.2023 से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है एवं वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने की स्थिति में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता किन्तु इसके उपरान्त भी उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा तथाकथित मौका रिपोर्ट दिनांक 23.2.2023 जो कि अपूर्ण मौका रिपोर्ट थी जिसमें पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं बिना नजरी नक्शे के ही आधार बनाकर उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा निर्णय दिनांक 19.5.2023 नॉन स्पीकिंग नॉन रिजण्ड आदेश से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है अतः पारित निर्णय काबिल निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने इस बिन्दु को नजर अन्दाज कर दिया कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत् नजरी नक्शे से स्पष्ट रूप से साबित है कि अपीलांट्स की आराजीयात को बर्बाद करने के उद्देश्य से रास्ता चाहा गया है जबकि खसरा नम्बर 1117 में आने जाने हेतु खसरा

नम्बर 1114/1184 व अन्य खसरा नम्बर में से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। ऐसी स्थिति में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता इसके उपरान्त भी उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा निर्णय दिनांक 19.5.2023 इस प्रकार से पारित किया कि उनके द्वारा पारित निर्णय अंतिम निर्णय हो और रिपोर्ट दिनांक 23.2.2023 में बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 में उनको जो रास्ता रेस्पोडेन्ट्स को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदान किया जाना उचित लगा उस बाबत निर्णय पारित कर दिया जबकि धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान निकटवर्ती या सुगमता के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में पारित निर्णय दिनांक 19.5.2023 काबिल निरस्त योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 36/2022 (2022/317) में पारित आदेश दिनांक 19.05.2023 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी वाकै ग्राम धुंवालिया तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी में पहुंच के प्रयोजन के लिए अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1073 रकबा 1.29 है0, 1044 रकबा 0.94 है0 में से नयामार्ग खोलने के आशय से प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की उपधारा (2) के अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1288/1070 तक पहुंच हेतु मार्ग विद्यमान है। जिसके बाद की आराजी खसरा नम्बर 1073 एवं 1044 में से नया मार्ग खोलने का आशय रखते है। प्रार्थीगण को उक्त मार्ग की अत्यधिक आवश्यकता है एवं वैकल्पिक मार्ग भी विद्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.05.2023 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम धुंवालिया के खसरा नम्बर 1117, 1117/1185, 1119/1186, 1334/1119, 1335/1119, 1336/1119, 1341/1119, 1342/1119 की आराजीयात में आने जाने हेतु अप्रार्थी की आराजीयात खसरा नम्बर 1073 व 1044 में से नया मार्ग स्वीकृत किए जाने हेतु अनुतोष चाहा गया।

भूअभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 06.09.2022 को प्रकरण में मौका रिपोर्ट तैयार की गई, उक्त मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते आपत्ति मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 15.02.2023 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में पुनः मौका रिपोर्ट तलब किए जाने हेतु तहसीलदार को निर्देश दिए गए।

भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रकरण में द्वितीय मौका रिपोर्ट दिनांक 20.02.2023 को प्रस्तुत की गई। उक्त मौका रिपोर्ट की बिंदु संख्या 4 में रास्ता केकडी–जयपुर रोड से खसरा नम्बर 1067, 1070/1196, 1288/1070, 1073, 1044, 1043 में होना सुविधाजनक बताया गया। मौका रिपोर्ट की बिंदु संख्या 5 में वैकल्पिक मार्ग खसरा नम्बर 1034, 1032, 1031, 1030, 1029, 1028, 1026, 1041 से होना बताया गया परंतु उक्त रास्ता मौके पर बंद होना बताया गया परंतु उक्त स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया कि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नहीं है।

मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल 2840 वर्गमीटर व 1350 वर्गमीटर बताया गया। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में लघुत्तम क्षेत्रफल वाले मार्ग से रास्ता नहीं देकर दीर्घत्तम क्षेत्रफल वाले मार्ग से रास्ता दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहीं पर भी इस बात की स्पष्ट विवेचना नहीं की गई है कि किस आधार पर उनके द्वारा प्रकरण में दीर्घत्तम प्रस्तावित रास्ते से रास्ता दिया जाकर निर्णय पारित किया गया।

मौका रिपोर्ट के बिंदु संख्या 5 में रास्ते को मौके पर बंद बताया गया है। परंतु मौका रिपोर्ट में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि रास्ता पूर्व में कभी आवागमन के लिए चालू था अथवा रास्ते को आवागमन के रूप में उपयोग किया जा सकता है अथवा नहीं इस स्थिति को मौका रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में तहसीलदार केकडी को पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया जबकि तहसीलदार लेण्ड होल्डर होने के नाते प्रकरण में एक आवश्यक पक्षकार है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया।

हाजा न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 1043 पर स्थगन आदेश का नोट लगा है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य का भी अपने निर्णय में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व मौका रिपोर्ट में कहीं पर भी यह अंकन नहीं किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कितने फिट चौडा रास्ता दिया गया है। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय पारित करते समय त्रुटि कारित की गई है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 36/2022 (2022/317) में पारित आदेश दिनांक 19.05.2023 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा

251 ए में वर्णित बिंदु यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग का अनुसरण करते हुए तथा प्रकरण में कितने फिट चौडा रास्ता दिया गया है, अपने निर्णय व मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकन कर प्रकरण में पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.05.2026 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर